



अभिरुचि की अभिव्यक्ति (Expression of interest)

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धान खरीद कार्यों हेतु संघ के क्रय केन्द्रों पर परिवहन एवं लेबर हथलन कार्य हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आवेदन पत्र |



EOI No.: UCF/HO/PADDY/EOI/HT/P01/21-22

दिनांक: 06/September/2021

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०
मुख्यालय: "यू सी एफ सदन" – दीप नगर रोड, विष्णु विहार, देहरादून – 248001
(उत्तराखण्ड)

खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के अंतर्गत धान खरीद कार्यों हेतु संघ के क्रय केन्द्रों पर परिवहन एवं लेबर हथलन कार्य हेतु अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आवेदन पत्र।

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून द्वारा रबी विपणन सत्र 2021-22 के अंतर्गत धान क्रय हेतु योग्य सेवादाताओं से परिवहन एवं हथलन कार्यों हेतु प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर **"अभिरुचि की अभिव्यक्ति"** मांगी गयी है, जिसके लिए सभी प्रतिभागियों को प्रार्थना पत्र के साथ **₹1,000/- {847.46+152.54} (GST सहित)** शुल्क का भुगतान किया जाना होगा। इच्छुक प्रतिभागी पूर्ण रूप से भरा प्रार्थना पत्र को मांगे गए सभी प्रपत्र एवं शुल्क इत्यादी के साथ डाक/कूरियर एवं हाथों-हाथ के माध्यम से संघ के मुख्यालय में जमा करवाना होगा। उक्त **EOI आवेदन पत्र** को संघ की वेबसाइट www.ucf.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है, जोकि दिनांक 06/09/2021 से वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे।

किसी भी एक अभिव्यक्ति/समस्त अभिव्यक्तियों को बिना कारण निरस्त करने का अधिकार अधो-हस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।

प्रबंध निदेशक

खंड - I

अस्वीकरण की सूचना

Notice of Disclaimer

1. इस अभिव्यक्ति दस्तावेज में निहित या बाद में इच्छुक आवेदक/आवेदकों को प्रदान कि गयी जानकारी, चाहे मौखिक या दस्तावेजी रूप में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून के किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी (जोकि संघ के प्रतिनिधि) के रूप में जो भी नियम एवं शर्तें तय के गयी है, जिसके अधीन ऐसी जानकारी प्रदान की गयी है |
2. इस ईओआई का कोई भी हिस्सा और संघ, या संघ के प्रतिनिधियों द्वारा किसी भी अनुवर्ती पत्राचार का कोई भी हिस्सा न तो कानूनी, वित्तीय या अन्य सलाह प्रदान करने के रूप में और न ही अनुबंध या संविदात्मक दायित्वों की स्थापना के रूप में लिया जाएगा। संविदात्मक दायित्व तभी उत्पन्न होंगे जब और जब निश्चित समझौतों को उचित पार्टियों द्वारा अनुमोदित और निष्पादित किया गया हो, जिनके पास ऐसे समझौतों में प्रवेश करने और अनुमोदन करने का अधिकार हो।
3. ईओआई दस्तावेज पूरी तरह से आवेदकों के लिए अपना निर्णय लेने में संभावित आवेदकों की सहायता के लिए तैयार किया गया है। संघ इस जानकारी को सर्व-समावेशी या सभी सूचनाओं को शामिल करने के लिए नहीं कहता है, जिस पर एक संभावित आवेदक को ईओआई जमा करने के लिए विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। इस ईओआई दस्तावेजों में जहां कहीं भी डेटा और कोई अन्य जानकारी प्रदान की गई है, वह केवल सांकेतिक है और न तो संघ, और न ही संघ के प्रतिनिधि, कोई वर्तमान या भविष्य का प्रतिनिधित्व करेंगे या नहीं माना जाएगा।
4. न तो संघ और न ही संघ के प्रतिनिधि इस ईओआई दस्तावेज में दी गई जानकारी की सटीकता या पूर्णता के बारे में कोई दावा करते हैं या कोई आश्वासन नहीं देते हैं। इच्छुक आवेदक(आवेदकों) को सलाह दी जाती है कि वे अपनी जांच और विश्लेषण या सेवा आपूर्ति के संबंध में ईओआई प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर निहित या संदर्भित या उपलब्ध कराई गई किसी भी जानकारी को पूरा करें। आवेदकों को अपनी खुद की पढ़ाई करनी होगी और अपनी ईओआई प्रदान करनी होगी।
5. यह ईओआई दस्तावेज केवल सूचना उद्देश्यों के लिए और इस स्पष्ट समझ पर प्रदान किया जाता है कि ऐसे पक्ष इसका उपयोग केवल ऊपर बताए गए उद्देश्य के लिए करेंगे। यह सर्व-समावेशी होने का तात्पर्य नहीं है या इसमें आपूर्ति के बारे में सभी जानकारी शामिल है जिसके संबंध में इसे जारी किया जा रहा है।
6. इस ईओआई दस्तावेज में दी गई जानकारी और बयान नेकनीयति से तैयार किए गए हैं। इच्छुक आवेदकों को इस ईओआई प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अपने निर्णयों पर भरोसा करना चाहिए। किसी भी दायित्व को तदनुसार स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया जाता है, भले ही कोई नुकसान या क्षति पूर्वोक्त की ओर से किसी भी कार्य या चूक के कारण हुई हो, चाहे लापरवाही हो या अन्यथा।
7. ईओआई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है, या किसी भी अधिकार क्षेत्र में अनुमोदित नहीं किया गया है। इस दस्तावेज के प्राप्तकर्ताओं को स्वयं को सूचित करना चाहिए और किसी भी लागू कानूनी आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। संघ कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देता है और ईओआई दस्तावेज की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के रूप में किसी भी कानून, कानून, नियमों या विनियमों के तहत कोई दायित्व नहीं होगा।
8. संघ के पास इस ईओआई आमंत्रण के जवाब में प्रस्तुत किए गए सभी या किसी भी ईओआई को बिना कोई कारण बताए किसी भी स्तर पर अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. सभी आवेदक इस दस्तावेज का मूल्यांकन और प्रतिक्रिया करते समय उनके द्वारा किए गए सभी लागतों और उसके बाद प्राप्तकर्ता द्वारा किए गए किसी भी बातचीत लागत के लिए जिम्मेदार हैं। संघ अपने विवेकाधिकार में उस मामले में आगे बढ़ सकता है जिसे वह उचित समझता है जिसमें इसकी अपेक्षित मूल्यांकन प्रक्रिया से विचलन, किसी भी दस्तावेज की छूट और अतिरिक्त जानकारी के लिए अनुरोध शामिल हो सकता है। असफल आवेदकों का न तो संघ और न ही उसके कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ कोई दावा नहीं होगा।

UTTARAKHAND STATE COOPERATIVE FEDERATION LTD, DEHRADUN

10. संघ किसी भी स्तर पर इस ईओआई को संशोधित करने, निलंबित करने, बदलने या पूरक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस ईओआई दस्तावेजों में कोई भी परिवर्तन संघ की वेबसाइट www.ucf.org.in पर अपलोड किया जाएगा।
11. केवल ईओआई प्रस्तुत करने से सफल आवेदकों के रूप में आवेदकों का चयन/सूचीबद्ध होना सुनिश्चित नहीं हो जाता है।



खंड - II

प्रस्तावना और समीक्षा

1. उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०, देहरादून (UCF) राज्य सरकार की एक शीर्ष सहकारी संस्था है। संघ मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत अधिसूचित कृषि वस्तुओं की खरीद के लिए राज्य की नोडल एजेंसियों में से एक है, जोकि सम्पूर्ण राज्य में कार्यरत है। संघ का उद्देश्य राज्य के कृषकों को उनकी उपज के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा निर्धारित (MSP) मूल्य का समय से एवं सटीकता से भुगतान करना है।
2. संघ द्वारा किये जा रहे MSP आधारित विपणन कार्य हेतु क्रय किय गए कृषक उपज को क्रय केन्द्रों से समय पर उठान कर मिलों/सरकारी खाधान भंडारण तक पहुँचाने के लिए परिवहन एवं हथलन कार्यों के लिये EOI निकली गयी है जिससे क्रय कर वितरण करने का कार्य समय से एवं सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
3. पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले प्रतिभागी/प्रतिभागियों को पैनल में शामिल किया जाएगा, उनके कार्य अनुभव, ट्रक उपलब्धता एवं वित्तीय क्षमता के अनुसार वरीयता दी जाएगी।
4. आवेदक भारतीय कानून के उपयुक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत एक प्रोपरायटर/फर्म/कंपनी/सोसाइटी आदि होना चाहिए।
5. चयन/सूचीबद्ध करने के लिए आवेदक (आवेदकों) को पूरे राज्य में क्षेत्रवार, जिलेवार कार्य करने के पूर्व अनुभव के लिए वरीयता दी जाएगी।
6. ईओआई के तहत इच्छुक और पात्र पार्टियों को अंतिम तिथि से पहले प्रत्येक आवश्यक दस्तावेज की प्रति जमा करनी होगी।
7. ईओआई की जांच के बाद, संघ प्रक्रिया के अनुसार पात्र आवेदकों को शॉर्टलिस्ट करेगा और उन्हें सूचित करेगा।
8. परिवहन एवं हैंडलिंग ठेकेदार का चयन प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा। आवेदक (ओं) को राज्य/जिले/क्षेत्र/केन्द्रों के नाम का उल्लेख करना होगा जिसके लिये अभिव्यक्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया हो।
9. संघ के पास राज्य भर में अपने कार्य केन्द्रों का एक नेटवर्क है और चयनित परिवहन एवं हैंडलिंग ठेकेदार इन संबंधित क्रय केन्द्रों के दायरे में काम करेंगे।



ईओआई (EOI) के लिए पात्रता मानदंड

1. आवेदक भारतीय कानून के उपयुक्त अधिनियम के तहत पंजीकृत एक प्रोपरायटर/फर्म/कंपनी/सोसाइटी आदि होना चाहिए।
2. यह ईओआई एकल इकाई तक सीमित है और इसका समर्थन करने के लिए, बोलीदाताओं को एक ही नाम के तहत पंजीकृत होना होगा और केवल एक ईओआई दस्तावेज जमा करना होगा। कम्पनी/साझेदारी फर्म/समिति के सदस्य संयुक्त रूप से पात्रता मानदंडों को पूरा कर सकते हैं। कम्पनी/साझेदारी फर्म/समिति का कोई भी सदस्य प्रमुख सदस्य/आवेदक बन सकता है, जिस हेतु उनको अधिकृत किया गया हो जोकि (इस ईओआई दस्तावेज में दिए गए प्रारूप के अनुसार) होगा को ईओआई दस्तावेज के साथ संलग्न करना होगा।
3. प्रतिभागियों को उनके अनुभव और वित्तीय क्षमता के अनुसार वरीयता एवं सामान कार्य अनुभव के सापेक्ष प्रार्थमिकता दी जाएगी।
4. आवेदक के पास वर्तमान तिथि तक का वैद्य GST, PAN, एवं कम्पनी/फर्म/समिति पंजीकरण होना अनिवार्य है जोकि EOI के साथ संलग्न किया जाना होगा।
5. आवेदक के पास वर्तमान तिथि तक का वैद्य हैसियत प्रमाण पत्र जोकि कम से कम ₹ 5,00,000/- (₹० पांच लाख मात्र) का होना अनिवार्य है, जोकि EOI के साथ संलग्न किया जाना होगा।
6. आवेदक को किसी भी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/सहकारिता समिति को भ्रष्ट और कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए कभी भी डिबार/ब्लैक लिस्टेड नहीं किया गया, इस आशय का एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
7. इस ईओआई के लिए आवेदक प्रस्तावित कम से कम 05 वाहनों की संख्या, भार क्षमता एवं अन्य का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
8. आवेदक द्वारा दिए गए वाहनों की संख्या के सापेक्ष RTO सम्बन्धित समस्त प्रपत्र एवं प्रमाण पत्रों को संलग्न करना अनिवार्य होगा।
9. आवेदक पिछले 3 वर्षों में दिवालिया नहीं होना चाहिए का स्वप्रमाणित शपथ पत्र।
10. आवेदक संघ, समिति एवं क्रय केंद्र पर तैनात किसी भी कर्मचारी/अधिकारी/निदेशक या अन्य किसी पदासीन व्यक्ति का रिश्तेदार अथवा सगा सम्बन्धी नहीं होना चाहिए, ऐसा पाए जाने पर आवेदन को निरस्त/अमान्य घोषित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास रक्षित होगा जोकि सर्वमान्य होगा।
11. मूल दस्तावेज प्रबंधक निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि० प्राइस सपोर्ट अनुभाग, यू सी एफ सदन – दीप नगर रोड, विष्णु विहार, देहरादून – 248001 एवं जिला कार्यालय (हरिद्वार, नैनीताल एवं उधम सिंह नगर) को नियत तिथि एवं समय पर उपलब्ध कराना आवश्यक होगा।
12. आवेदक ईओआई तैयार करने और जमा करने से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा। ईओआई प्रक्रिया के आचरण या परिणाम की परवाह किए बिना, संघ किसी भी मामले में इन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।



ईओआई दस्तावेज़ की उपलब्धता

1. ईओआई दस्तावेज़ संघ की वेबसाइट (www.ucf.org.in) से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
2. ईओआई दस्तावेज़ संघ के मुख्यालय/जिला कार्यालय एवं सोयाबीन परियोजना, हल्द्वीचौड़ से शुल्क का नगद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते जोकि नॉन रिफंड होगा।

महत्वपूर्ण तिथि एवं समय

Date of Uploading of Documents on UCF's website	06 सितम्बर 2021
EOI Submission Start Date and Time	07 सितम्बर 2021, प्रातः 10:00 बजे से
EOI submission End Date and Time	20 सितम्बर 2021, सांय 05:00 बजे तक

ईओआई से सम्बंधित जानकारी

सभी संभावित आवेदनकर्ता EOI से सम्बंधित जानकारी नियत तिथि से पूर्व निम्नलिखित मोबाइल न० एवं ईमेल से प्राप्त कर सकते हैं:

E-mail:

ucfdehradun@gmail.com

ucfhaldwani123@gmail.com

Contact No:

8191801910, 912, 920 & 922

ईओआई दस्तावेजों में संशोधन

1. ईओआई जमा करने की अंतिम तिथि से पहले किसी भी समय, संघ, किसी भी कारण से, चाहे अपनी पहल पर या संभावित आवेदक द्वारा अनुरोध किए गए स्पष्टीकरण के जवाब में, इस ईओआई दस्तावेज को एक संशोधन द्वारा संशोधित कर सकता है।
2. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी शुद्धिपत्र/परिवर्तन के लिए संघ की वेबसाइट देखते रहें।
3. इसके अलावा, संभावित आवेदकों को अपनी ईओआई तैयार करने के लिए संशोधन को ध्यान में रखने के लिए उचित समय प्रदान करने के लिए, संघ अपने विवेक पर, ईओआई प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ा सकता है और/या निर्धारित आवश्यकताओं में अन्य परिवर्तन कर सकता है।



ईओआई जमा करने की प्रक्रिया

1. इस ईओआई के संबंध में पूर्ण रूप से भरा आवेदन प्रबंधक, प्रबंधक निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि० प्राइस सपोर्ट अनुभाग, यू सी एफ सदन – दीप नगर रोड, विष्णु विहार, देहरादून – 248001 को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए आवेदन के अन्य रूप किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं होंगे।
2. इच्छुक पक्ष सभी नियमों और शर्तों की स्वीकृति के टोकन के रूप में प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित और मुहर लगी मूल डाउन लोडेड फॉर्म में रुचि की अभिव्यक्ति दस्तावेज जमा करेंगे। फैंक्स/ईमेल या रुचि की अभिव्यक्ति की प्रति पर प्राप्त रुचि की अभिव्यक्ति को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
3. आवेदन के साथ प्रोसेसिंग फीस **₹1,000/- [847.46+152.54] (GST सहित)** (अप्रतिदेय) होनी चाहिए, जोकि डीडी/एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से संघ को EOI खलने से पूर्व में ही प्राप्त होनी चाहिए। इस दस्तावेज का मुद्दा किसी भी तरह से संघ को ईओआई प्रक्रिया के सभी या किसी हिस्से के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध या अन्यथा बाध्य नहीं करता है। ईओआई के बीच अनुबंध की किसी प्रक्रिया या किसी संविदात्मक दायित्व का विषय नहीं है।
4. रुचि की अभिव्यक्ति में, रुचि की अभिव्यक्ति करने वाले व्यक्तियों के फोन, ईमेल आईडी एवं व्यक्ति का नाम, पदनाम और व्यवसाय का स्थान होना चाहिए और संभावित सेवादाता द्वारा अपने सामान्य हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षरित और सील किया जाना होगा।
5. इस ईओआई के लिए आवेदन के हस्ताक्षरकर्ता को ईओआई पर हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, इस मामले में आवेदनकर्ता द्वारा अधिकृत हस्ताक्षर का पत्र संलग्न करना होगा।
6. ईओआई के प्रत्येक पृष्ठ को क्रमागत रूप से क्रमांकित और हस्ताक्षरित किया जाना है।
7. यदि इस ईओआई के तहत अपलोड किए गए किसी भी दस्तावेज को किसी भी तरीके से संशोधित/संशोधित पाया जाता है, तो ईओआई को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा और ईओआई प्रसंस्करण शुल्क जब्त कर लिया जाएगा और आवेदक किसी भी उपयुक्त कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।



ईओआई का मूल्यांकन

1. निर्धारित समय तक प्रसंस्करण शुल्क के साथ प्राप्त ईओआई आवेदन (सभी प्रकार से पूर्ण) को संघ की विधिवत गठित समिति द्वारा खोला और जांचा जाएगा। समिति शर्तों के अनुसार संघ की आवश्यकताओं के अनुसार प्रदान किए गए दस्तावेजों की जांच करेगी तदुपरांत पूर्णरूप से भरा व समस्त प्रपत्रों के साथ किये गए आवेदन को ही अग्रिम कार्यवाही हेतु रखा जायेगा |
2. मूल्यांकन के दौरान, sangh अपने विवेक पर आवेदक को अपने प्रस्ताव पर प्रस्तुति देने के लिए, इस ईओआई में उल्लिखित कार्यों को करने की उनकी क्षमता की व्याख्या करने और संघ के किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए कह सकता है। प्रस्तुतीकरण के स्थान की सूचना आवेदकों को उचित तिथि पर दी जाएगी। तिथि पर प्रश्नों के लिए प्रस्तुतिकरण और स्पष्टीकरण की व्यवस्था करने में आवेदक की ओर से विफल होने पर EOI रद्द कर दिया जाएगा |
3. संघ द्वारा किसी ईओआई में किसी भी छोटी-मोटी दुर्बलता या गैर-अनुरूपता या अनियमितता को माफ करने पर विचार कर सकता है, जो एक भौतिक विचलन का गठन नहीं करता है, बशर्ते इस तरह की छूट किसी भी आवेदक की सापेक्ष रैंकिंग को प्रभावित या प्रभावित न करे।



भ्रष्ट या कपटपूर्ण आचरण।

1. यह अपेक्षा की जाती है कि आवेदक जो इस कार्य के लिए ईओआई चाहते हैं, उनके पास नैतिकता के उच्चतम मानक हैं।
2. संघ ईओआई को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित करता है कि पुरस्कार के लिए अनुशंसित आवेदक ने इस ईओआई के लिए प्रतिस्पर्धा करते समय भ्रष्ट या धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।
3. संघ किसी आवेदक को अनिश्चित काल के लिए या निर्दिष्ट अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, या किसी भी समय यह निर्धारित करने के लिए संपर्क कर सकता है कि सेवाडाटा ने निष्पादन के दौरान भ्रष्ट और धोखाधड़ी प्रथाओं में लिप्त है।



लागू कानून, क्षेत्राधिकार और विवाद समाधान

1. यह ईओआई दस्तावेज और इस ईओआई दस्तावेजों के तहत कार्य आदेश का गठन किया जाएगा और पार्टियों के बीच कानूनी संबंध भारत गणराज्य के कानूनों और उत्तराखण्ड सहकारी समितियों के अनुसार निर्धारित और शासित होंगे। इस समझौते से संबंधित/स्पर्श करने और/या संबंधित सभी मामलों में देहरादून का अधिकार क्षेत्र होगा और इस समझौते के पक्षकार उन न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार में अपरिवर्तनीय रूप से प्रस्तुत करने के लिए सहमत होंगे।
2. इस ईओआई दस्तावेजों की शर्तों की व्याख्या और वैधता और पार्टियों के संबंधित अधिकारों और दायित्वों सहित सभी या किसी भी विवाद से उत्पन्न होने वाले या छूने पर या आपसी चर्चा से सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाया जाएगा, जिसमें विफल रहा है मध्यस्थता के माध्यम से निपटाया जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही 1996 के मध्यस्थता और सुलह अधिनियम (तारीख तक संशोधित) या किसी भी वैधानिक संशोधन / संशोधन द्वारा शासित होगी।
3. कार्य प्रदान करने के लिए अलग-अलग कानूनी खंड होंगे और उन्हें सेवा स्तर समझौते में शामिल किया जाएगा। ईओआई और शर्तों के बाद संघ और सफल आवेदकों के बीच निष्पादित किए जाने वाले सेवा स्तर समझौते के अनुसार पोस्ट अवार्ड कार्य दायित्वों को निपटाया जाएगा

अप्रत्याशित घटना

1. आग, बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा, हड़ताल, दंगा, नागरिक हंगामा, महामारी, दुर्घटना और/या सामान जैसी कोई असाधारण और अप्रत्याशित परिस्थिति उत्पन्न होने पर या तो अनुबंध करने वाले पक्ष को पूरी तरह या आंशिक रूप से दायित्वों को पूरा करने से रोकना चाहिए। ईओआई, इस प्रकार रोका गया पक्ष दूसरे पक्ष को इसकी शुरुआत से 3 (तीन) दिनों के भीतर इस तरह की विफलता के कारणों के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा और अनुबंध के पूर्ण या पूर्ण प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
2. इस ईओआई दस्तावेजों में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, एजेंसी की हॉलिडे-लिस्टिंग के लिए संघ की नीति इस समझौते पर लागू होती है और इस घटना में, एजेंसी (एस) समझौते के तहत अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय या अन्यथा, दायरे में आती है। उक्त नीति के अनुसार, संघ अपने विवेकाधिकार पर लागू नीति के अनुसार एजेंसी (ओं) के साथ लेनदेन को निलंबित / बंद करने या कोई उपचारात्मक उपाय करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।



धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की रोकथाम

1. आवेदक संघ के साथ व्यवहार करते समय धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए बाध्य होंगे।
2. आवेदक सीधे या किसी अन्य व्यक्ति या फर्म के माध्यम से, संघ के किसी भी कर्मचारी को किसी भी सामग्री या अन्य लाभ की पेशकश, की अनुमति नहीं देगा, जिसे प्राप्त करने के लिए वह कानूनी रूप से हकदार नहीं है जोकि ईओआई प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के किसी भी लाभ के बदले में हो।
3. आवेदक अन्य आवेदकों के साथ किसी भी अज्ञात समझौते या समझ में प्रवेश नहीं करेगा, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। यह विशेष रूप से कीमतों, विनिर्देशों, प्रमाणपत्रों, सहायक अनुबंधों, ईओआई को प्रस्तुत करने या प्रस्तुत न करने या प्रतिस्पर्धा को प्रतिबंधित करने या आयात प्रक्रिया में कार्टेलाइजेशन शुरू करने के लिए किसी भी अन्य कार्रवाई पर लागू होता है।
4. आवेदक धोखाधड़ी निवारण नीति में उल्लिखित अपराधों/गतिविधियों को करने के लिए किसी तीसरे व्यक्ति को न तो उकसाएगा, और ऐसे अपराधों के लिए सहायक नहीं होगा।
5. आवेदक (ओं) के पास यदि धोखाधड़ी/संदिग्ध धोखाधड़ी के संबंध में कोई जानकारी है, तो एतद्वारा सहमत हैं और बिना किसी देरी के संघ को सूचित करने का वचन देते हैं।



सामान्य शर्तें

1. किसी भी नियम एवं शर्त का किसी भी समय एवं किसी भी प्रकार से उल्लंघन स्वीकार्य नहीं होगा।
2. कार्य आपूर्ति की प्रक्रिया के किसी भी चरण में, यदि यह पाया जाता है कि आवेदक ने गलत और भ्रामक प्रमाण पत्र/सूचना/दस्तावेज दिया है, तो संघ ईओआई को रद्द करने, सुरक्षा की जब्ती/ईओआई सहित उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।
3. वर्तमान ईओआई किसी भी पिछले चल रहे/पूर्ण अनुबंध से स्वतंत्र होगा जो संघ और आवेदक (आवेदकों) के बीच दर्ज किया गया हो सकता है।
4. संघ के पास आवेदक (आवेदकों) से किसी भी अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेजों की मांग करने का अधिकार सुरक्षित है और इसे आवेदक द्वारा दी गई समय अवधि के भीतर संघ को प्रस्तुत किया जाएगा।
5. यह ईओआई भारतीय कानूनों के अनुसार शासित और समझा जाएगा।
6. आवेदक द्वारा दोनों कार्य के लिए पृथक पृथक लिफाफे के माध्यम से जमा करना होगा तथा लिफाफे पर कार्य का नाम भी अंकित करना होगा।
7. चयनित आवेदक को चयन सूचना के पश्चात् 05 दिन के अन्दर ₹ 1,00,000/- (एक लाख मात्र) की धरोहर राशि "UTTARAKHAND STATE COOPERATIVE FEDERATION LTD." के नाम से जोकि DEHRADUN पर देय होगा का भुगतान FDR के माध्यम से जमा करना होगा।
8. प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक/अधिकृत हस्ताक्षर एवं मुहर (Seal/स्टाम्प) अंकित करना अनिवार्य होगा।
9. आवेदक अपना पूर्ण रूप से भरा आवेदन संघ मुख्यालय एवं जिला कार्यालय (हरिद्वार, हल्द्वानी एवं रुद्रपुर) पर नियत तिथि पूर्व/तक जमा करा सकते हैं।



आवेदन पत्र (आवेदक संस्था/फर्म/कम्पनी/समिति/व्यक्ति के लैटर पेड पर)

सेवा में,
प्रबंध निदेशक
उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि०
"यू सी एफ सदन" - दीप नगर रोड,
विष्णु विहार, देहरादून,
उत्तराखण्ड - 248001

महोदय,

मैं/हम, आंवटित राज्य/जिले/क्षेत्र में संघ के आगामी खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के अंतर्गत धान खरीद कार्य हेतु परिवहन एवं हथलन कार्य के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए प्रसंस्करण शुल्क जमा करते हैं।

मैंने/हमने रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) में निहित सभी नियमों और शर्तों की पूरी तरह से जांच और समझ कर ली है और उनका पालन करने के लिए सहमत हूं।

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि संघ इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने और जमा करने के लिए विधिवत अधिकृत हूं।

आपका विश्वासी

अधिकृत हस्ताक्षर

नाम:.....

पदनाम:.....

मो. न.:.....

दिनांक:.....

स्थान:.....

आवेदन पत्र

आवेदक संस्था/फर्म/कम्पनी/समिति/व्यक्ति का नाम	
व्यवसाय का नाम	
कानूनी नाम (पेन आधारित)	
व्यवसाय का प्रकार (फर्म/कम्पनी/समिति/व्यक्ति का नाम/एसोसिएशन ऑफ़ पर्सन्स/बॉडी ऑफ़ इंडीविज्युलस)	
पंजीकृत पत्राचार का पता	
पंजीकरण सं०	
PAN	
GSTN	
AADHAR अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता/प्रोपरायटर	
हैसियत प्रमाण पत्र सं एवं वैधता	
अधिकृत व्यक्ति का नाम , पद नाम, मो०न० एवं ई-मेल	
अधिकृत व्यक्ति के पत्राचार का पता	

नोट: उपरोक्त सभी के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

संस्था/फर्म/कम्पनी/समिति/व्यक्ति के द्वारा लगाये जाने वाले वाहनों का विवरण

<u>क्र० सं०</u>	<u>वाहन पंजीकरण सं०</u>	<u>भार क्षमता</u>	<u>वाहन स्वामी का नाम</u>	<u>स्वयं/किराए का</u>	<u>फिटनेस वैदता</u>
<u>1</u>					
<u>2</u>					
<u>3</u>					
<u>4</u>					
<u>5</u>					

उपरोक्त विवरण के साथ वाहन से सम्बंधित सभी आवश्यक प्रपत्रों/प्रमण पत्रों की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

संस्था/फर्म/कम्पनी/समिति/व्यक्ति का संक्षिप्त ब्यौरा एवं कार्य अनुभव

व्यवसाय का संक्षिप्त विवरण

कार्य अनुभव का विवरण

(पूर्व में किया गए कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र कि छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।)

Undertaking from Applicant

(to be submitted on the letter head)

Date: -

To

The Managing Director,
Uttarakhand State Cooperative Federation Ltd.
"UCF SADAN" – Deep Nagar Road,
Vishnu Vihar, Dehradun
Uttarakhand - 248001

Dear Sir,

This has reference to the EOI reference no.. In response to _____ datedpublished in the website of Federation the said EOI, I/ we have submitted our EOI at your office.

In connection with the above EOIs, I / we hereby declare and undertake as under: -

- (i) That we are neither related to any member(s) of your Board of Directors, Officers and other employees nor do we have any financial, commercial or other interests with any of the above persons in any capacity whatsoever.
- (ii) That we have read this EOI documents completely and all terms & conditions given in this EOI documents are acceptable to me/us.
- (iii) That we have not been blacklisted by any State/Central Govt. body/ Public Sector Undertaking at any point of time in India.
- (iv) That we have not been involved in any major litigation that may have an impact of affecting or compromising participation in this EOI.
- (v) That in case of any violations to the above declarations at any stage of the EOI, Federation reserves the sole right to cancel the candidature under this EOI.

For and on behalf of

(Authorized Signatory with seal/Stamp)